COMPLIANCE REPORT

IN

THE MATTER

OF

O.A. NO.-201/2020

Arvind Kumar &Anr. **Applicant(S)**

V/S

Central Pollution Control Board &Ors. **Respondent (S)**

Background:-

The Hon'ble NGT (PB), New Delhi order dated 15.09.2020 mentioned that the grievance in this application is against unscientific dumping of waste at main road of village Changipur, District Bijnor by the Municipal Council, Noorpur. The waste includes carcasses which is resulting in foul and obnoxious smell and also air and land pollution. In spite of representations made to the Municipal Council, no remedial action has been taken.

In view of above, let a joint Committee comprising the State Pollution Control Board, the District Magistrate, Bijnor and the Municipal Council, Noorpur, District Bijnor, U.P., furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR support PDF and not in the form of image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

In compliance of the above Hon'ble NGT order dated 15.09.2020 a committee was constituted by Additional District Magistrate (Admin.), District Bijnor by office order No.3400/21-LBC-2020 dated 23-09-2020 (annexed as **Annexure-1**). The committee consists of following three departmental members: -

1. SDM, Chandpur, District-Bijnor.
2. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Bijnor.
3. Executive Officer, Nagar Palika Prishad, Noorpur, District-Bijnor.

In compliance of the above order joint committee has inspected the alleged site Khasra No.1M, Area 1.416 Hectare, Village-Changipur, Pargana-Budhpur, Tehsil-Chandpur, District-Bijnor on 07.10.2020. As per inspection of the committee following points were observed: -

Sl. No.	Criteria for landfill site selection under Solid Waste Management Rules-2016.	Observation of the committee regarding the alleged site for establishment of Solid waste processing and sanitary landfill facility (Khasra No. 1 M, Area-1.416 hectare Village-Changipur, Pargana-Budhpur, Tehsil-Chandpur, District-Bijnor, 29°06'35.3"N 78°26'22.2"E)
1	The landfill site shall be 100 meters away from river, 200 meters from a pond, 200 meters from Highways, Habitations, Public Parks and water supply wells and 20 km away from Airports or Airbase. However, in a special case, landfill site may be set up within a distance of 10 and	Any river, pond, highways, habitations, public parks and water supply wells, wetland, Airports or Airbase,. flood plains, zone of coastal regulation, wetland, Critical habitat areas, sensitive eco-fragile areas were not found within the prescribed limits. The selected site is situated near link road connecting Puraini Durveshpur to

AEE, UPPCB Bijnor RO, UPPCB Bijnor EO Noorpur Bijnor SDM C

	20 km away from the Airport/Airbase after obtaining no objection certificate from the civil aviation authority/ Air force as the case may be. The Landfill site shall not be permitted within the flood plains as recorded for the last 100 years, zone of coastal regulation, wetland, Critical habitat areas, sensitive eco-fragile areas.	Noorpur-Moradabad highway road, village Changipur is about 900 meters away from the alleged site in the south direction, Noorpur-Moradabad highway about 01 km in the north direction, Village Puraina Abdul Rehmanpur is about 02 km in the west direction and village Daulatpur Biloch is about at a distance of 2.5 km in the east-south direction. There is mostly agricultural land around the said site. The details inspection report is enclosed (annexed as **Annexure-2**).

As per the above observation of the committee, the selected site for processing of solid waste and sanitary landfill is as per the siting criteria for landfill site selection under Solid Waste Management Rules-2016. The committee has recommended that the Nagar Palika Parishad Noorpur, Bijnor should comply the mandatory provisions of Solid Waste Management Rules-2016, Water (Prevention and Control of pollution) Act 1974, Air (Prevention and Control of pollution) Act 1981, Environment (Protection) Act 1986 and EIA notification 14.09.2006 for establishment of the project.

The above report is submitted for your kind perusal and necessary action.

S.N.	**Name**	**Designation**	**Signature**
1	Kunwar Virendra Kumar Maurya	SDM, Chandpur, District-Bijnor.	[signature]
2	Durgeshwar Tripathi	Executive Officer, Nagar Palika Prishad, Noorpur, District-Bijnor.	[signature]
3	J.P.Maurya	Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Bijnor.	[signature] 15/12/20
4	Mahir Hussain	Assistant Environmental Engineer, U.P. Pollution Control Board, Bijnor.	M Hussain

[signature] 15/12/20
District Magistrate
Bijnor

Annexure-01

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सीपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–201/2020, अरविन्द कुमार व अन्य बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत ग्राम चांगीपुर, जनपद बिजनौर में नगर पालिका परिषद नूरपुर द्वारा सड़क के किनारे अवैज्ञानिक तरीके से कूडे को डम्प कर दुर्गन्ध व प्रदूषण फैलाये जाने एवं नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त समस्या का निदान न किये जाने के संबंध में, राज्य पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर एवं नगर पालिका परिषद नूरपुर की एक संयुक्त जांच समिति गठित करते हुए, प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.09.2020 के अन्तर्गत मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश दि0 15 अगस्त, 2020 के अनुक्रम में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है एवं निर्देश दिये गये है कि गठित समिति प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त, अद्यतन शासनादेशों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सीपल बैंच, नई दिल्ली के समक्ष निर्धारित समयावधि के भीतर तथ्य प्रस्तुत करेगी।

1– उप–जिलाधिकारी, चॉदपुर।
2– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।
3– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नूरपुर।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

संख्या–3400/21–एल0बी0सी0–2020 दिनांक 23 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2– उप–जिलाधिकारी चॉदपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नूरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश दि0 15 अगस्त, 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, आवश्यक कार्यवाही करने एवं मा0 अधिकरण के समक्ष निर्धारित समयावधि के भीतर तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

23/9/20

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बिजनौर।

Annexure-02

–संयुक्त निरीक्षण आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या ओ0ए0 नं0–201/2020 अरविन्द कुमार व अन्य बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–15.09.2020 जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"Grievance in this application is against unscientific dumping of waste at main road of village Changipur, District Bijnor by the Municipal Council, Noorpur. The waste includes carcasses which is resulting in foul and obnoxious smell and also air and land pollution. In spite of representations made to the Municipal Council, no remedial action has been taken.

In view of above, let a joint Committee comprising the State Pollution Control Board, the District Magistrate, Bijnor and the Municipal Council, Noorpur, District Bijnor, U.P., furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR support PDF and not in the form of image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. List for further consideration on 18.12.2020."

उक्त आदेश के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, बिजनौर के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3400/21–एल0बी0सी0–2020 दिनांक 23 सितम्बर 2020 द्वारा प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी चॉदपुर, बिजनौर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नूरपुर, बिजनौर की एक समिति का गठन किया गया **(संलग्नक–क)**।

उक्त समिति द्वारा दिनांक 07.10.2020 को प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यालय उप जिलाधिकारी, तहसील–चॉदपुर, जिला–बिजनौर में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उप जिलाधिकारी, तहसील–चॉदपुर, बिजनौर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नूरपुर, बिजनौर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर उपस्थित रहे। बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नूरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम–2016 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट/सेनेट्री लैण्डफिल की स्थापना के सम्बन्ध में भूमि उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित महाप्रबन्धक कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 743/म0प्र0नि0–8/जी–8–66/33 दिनांक 07.08.2016 **(संलग्नक–ख)**, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0 पी0एम0यू0/154/एस0डब्लू0एम0/एस0बी0एम0/2016 दिनांक 27.06.2016 **(संलग्नक–ग)**, द्वारा पत्र निर्गत किया गया। शासनादेश सं0 4520/नौ–8–2017–153ज/2017 नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर 2017 **(संलग्नक–घ)**, के अनुसार नामित कमेटी द्वारा दिनांक 22.02.2020 को समझौते के आधार पर भूमि खरीदारी किये जाने की संयुक्त आख्या जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासनादेश के अनुपालन में गठित भूमि क्रय समिति की आख्या को स्वीकार करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया, जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 23.07.2020 को खसरा सं0–1 मि0, रकबा 1.416 है0 ग्राम–चॉगीपुर, परगना–बूढ़पुर, तहसील–चांदपुर, जिला–बिजनौर (29°06'35.3"N 78°26'22.2"E) क्रय किया गया **(संलग्नक–ड़)**।

उक्त भूमि पर नगर पालिका परिषद, नूरपुर से जनित म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु सालिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट एवं सेनेट्री लैण्डफिल की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। उक्त बैठक के उपरान्त समिति द्वारा चयनित स्थल खसरा सं0–1 मि0, रकबा 1.416 है0 ग्राम–चॉगीपुर, परगना–बूढ़पुर, तहसील–चांदपुर, जिला–बिजनौर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। चयनित स्थल नूरपुर–मुरादाबाद हाईवे से लगभग 01 किमी0 की दूरी पर पुरैनी दुरवेशपुर लिंक मार्ग के समीप स्थित है।

M Husain AEE, UPPCB Bijnor. — RO UPPCB Bijnor — E.O Noorpur Bijnor — SDM CP

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 में भूमि भरण स्थल चयन हेतु मानदण्ड तथा नगर पालिका द्वारा चयनित स्थल के आस–पास स्थित स्थलों का विवरण निम्नवत है–

क0 सं0	**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अन्तर्गत भूमि भरण स्थल चयन हेतु मानदण्ड।**	**नगर पालिका परिषद नूरपुर द्वारा चयनित स्थल खसरा सं0–1 मि0, रकबा–1.416 है0 ग्राम–चॉगीपुर, परगना–बूढ़पुर, तहसील–चांदपुर, जिला–बिजनौर (29°06'35.3"N 78°26'22.2"E)**
1	भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुंओं से 200 मीटर तथा विमानपत्तनों या हवाई अडडे से 20 किमी0 की दूरी पर होंगे। तथापि, विशेष मामले में, भूमि भरण स्थल को नागर विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद विमानपन्तन/हवाई अडडे से 10 और 20 किमी की दूरी के अंदर स्थापित किया जा सकता है। तटीय विनियम जोन, नमभूमि, महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील पारि–भंगुर क्षेत्रों और गत 100 वर्षों से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी।	ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं सेनेट्री लैण्डफिल हेतु चयनित स्थल से लगभग 900 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में ग्राम–चॉगीपुर, उत्तर दिशा में लगभग 01 किमी0 की दूरी पर नूरपुर–मुरादाबाद हाईवे, पश्चिम दिशा में लगभग 02 किमी0 की दूरी पर पुरैना अब्दुल रहमानपुर तथा पूरब–दक्षिण दिशा में लगभग 2.5 किमी0 की दूरी पर दौलतपुर बिलोच गांव स्थित है तथा स्थल के समीप आस पास कृषि भूमि है। चयनित स्थल के समीप निर्धारित मानक के विपरीत अन्य स्थल जैसे नदी, तालाब, राजमार्ग, आवासीय स्थल, सार्वजनिक उद्यान, जल आपूर्ति कुआं, हवाई अड्डा, नम भूमि, तटीय विनियम जोन व बाढ़ग्रस्त क्षेत्र स्थित नहीं है।

निरीक्षण के समय चयनित स्थल पर अल्प मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारित पाया गया। वर्तमान में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं सेनेट्री लैण्डफिल हेतु उक्त चयनित स्थल पर नही लाया जा रहा है। स्थल के फोटोग्राफ व गुगल मैप संलग्न है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत चयनित स्थल ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं सेनेट्री लैण्डफिल हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित स्थल चयन मानदण्ड के अनुरूप है। नगर पालिका परिषद, नूरपुर द्वारा उक्त परियोजना की स्थापना हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 में वर्णित प्राविधानों, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 तथा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक–14.09.2006 के अज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

स्थलीय निरीक्षण में उपस्थित अधिकारियों के नाम/पदनाम/हस्ताक्षर निम्नवत हैं–

क0सं0	नाम	पदनाम	विभाग	हस्ताक्षर
1	कुँवर विरेन्द्र कुमार मौर्य	उप जिलाधिकारी	तहसील–चान्दपुर, बिजनौर	[signature]
2	दुर्गेश्वर त्रिपाठी	अधिशासी अधिकारी	नगर पालिका परिषद, नूरपुर, बिजनौर	[signature]
3	जे0पी0मौर्य	क्षेत्रीय अधिकारी	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर	[signature] 7/12/20
4	माहिर हुसैन	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर	MHusain 7-12-20

ठोस अपशिष्ठ प्रसंस्करण एवं सेनेट्री लैण्डफिल हेतु चयनित स्थल खसरा सं0–1 मि0, रकबा–1.416 है0 ग्राम–चॉगीपुर, परगना–बूढपुर, तहसील–चांदपुर, जिला–बिजनौर (29°06'35.3"N 78°26'22.2"E)

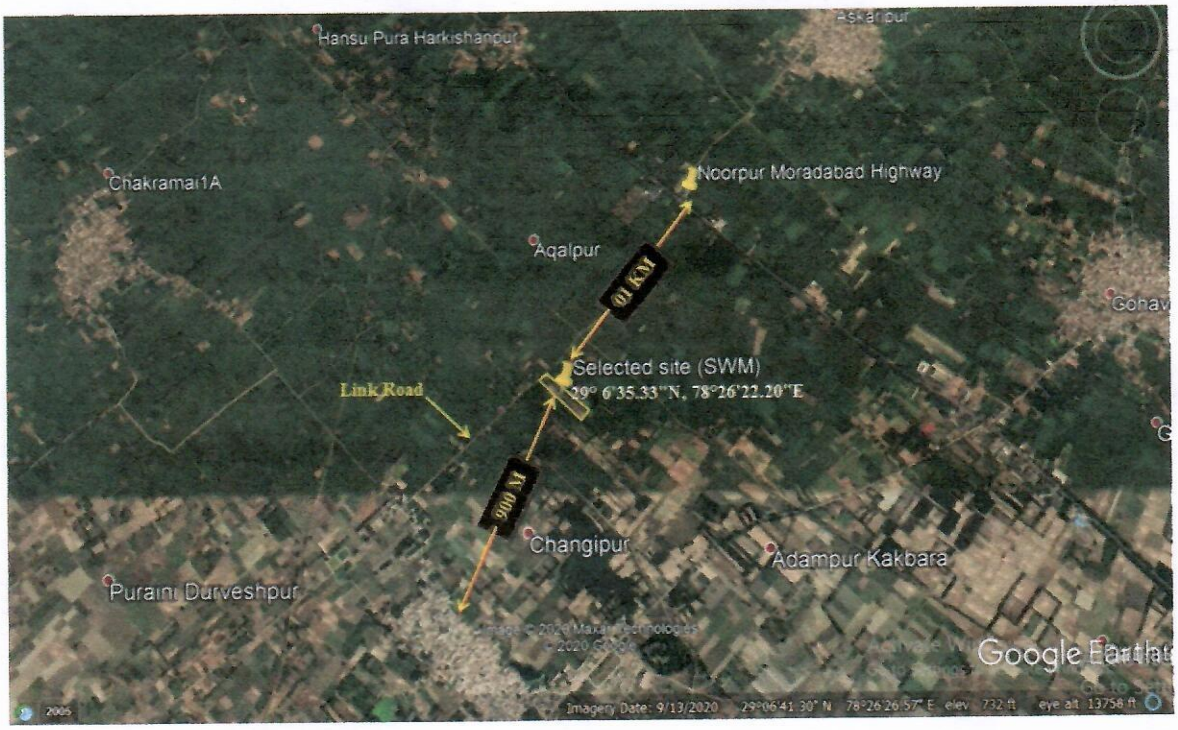

ठोस अपशिष्ठ प्रसंस्करण एवं सेनेट्री लैण्डफिल हेतु चयनित स्थल (29°06'35.3"N 78°26'22.2"E) का गुगल मैप

23-09-20

"संलग्नक-क"

पत्रॉक 912
दिनॉक 23/09/2020
पत्रावली सं0 N-26/जनरल

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सीपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–201/2020, अरविन्द कुमार व अन्य बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत ग्राम चांगीपुर, जनपद बिजनौर में नगर पालिका परिषद नूरपुर द्वारा सड़क के किनारे अवैज्ञानिक तरीके से कूडे को डम्प कर दुर्गन्ध व प्रदूषण फैलाये जाने एवं नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त समस्या का निदान न किये जाने के संबंध में, राज्य पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर एवं नगर पालिका परिषद नूरपुर की एक संयुक्त जांच समिति गठित करते हुए, प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.09.2020 के अन्तर्गत मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश दि0 15 अगस्त, 2020 के अनुक्रम में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है एवं निर्देश दिये गये है कि गठित समिति प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त, अद्यतन शासनादेशों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सीपल बैंच, नई दिल्ली के समक्ष निर्धारित समयावधि के भीतर तथ्य प्रस्तुत करेगी।

1– उप–जिलाधिकारी, चॉदपुर।
2– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।
3– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नूरपुर।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

संख्या–3400/21–एल0बी0सी0–2020 दिनांक 23 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2– उप–जिलाधिकारी चॉदपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नूरपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश दि0 15 अगस्त, 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, आवश्यक कार्यवाही करने एवं मा0 अधिकरण के समक्ष निर्धारित समयावधि के भीतर तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

23/9/20

AEE2

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बिजनौर।

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज़

उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय :- टी.सी.-38-वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन: +91 522 2728985 फैक्स: +91 522 2728988

Visit us: www.cdsupjn.org e-mail: director@cdsupjn.org

पत्रांक: ....743/म.5-बि-8/जी-8-66/33 दिनांक: 02-08-16

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
खरखौदा, किठौर, बाबूगढ़, निवाड़ी, पतला, मोदीनगर, डसना, मुरादनगर, फरीदनगर, खुर्जा, बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद, जहाँगीराबाद, बेग्रासी, सियाना एवं गुलावटी (जनपद–गाजियाबाद), बेनीग्राम, बिलग्राम, गोपामऊ, कछौना, हरदोई, कुरसथ, मलावन, पिहानी, सण्डी, सण्डीला, शाहाबाद, माधोगंज, बांगरमऊ एवं गंज मुरादाबाद(जनपद–हरदोई), बिजनौर, चाँदपुर, धामपुर, हलदौ, झालु, नगीना, नहतौर, नूरपुर, सहसपुर, स्योहरा, शेरकोट, कान्थ, ठाकुरद्वारा, उमरीकलन, अमरोहा, धनौरा, गजरौला, जोया एवं बछरॉव(जनपद–बिजनौर), उन्नाव, गंगाघाट, हैदराबाद, मौरावॉ, मोहान, नवाबगंज, न्योतिनी, पुरवा, रसूलाबाद, सोफीपुर, ऊगू, बीघापुर एवं फतेहपुर चौरासी(जनपद–उन्नाव)।

विषय:– **स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निकायों के क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के गठन हेतु आवश्यक/उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 176/म0प्र0नि–8/जी–8–66/15 दिनांक 18.03.2016 एवं 379/म.प्र.नि.–8/जी–8–66/21 दिनांक का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राज्य सेक्टर/विश्व बैक सहायतित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के नियोजन एवं क्रियावयन हेतु प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के आगणन गठन/क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अवगत कराना है कि विश्व बैंक सहायतित कार्यक्रम के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना का क्रियान्वयन कलस्टर–आधार पर किया जाना है। वर्तमान में चार कलस्टर नामतः हरदोई, बिजनौर, उन्नाव एवं गाजियाबाद कलस्टर के अन्तर्गत सम्मिलित नगर निकायों (सूची संलग्न) में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इन नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) तैयार कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। अतः वांछित भूमि शीघ्र उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना का कलस्टर आधरित क्रियान्वयन के अन्तर्गत प्रत्येक नगर निकाय में प्रोसेसिंग प्लान्ट अधिष्ठापित किया जायेगा। जिसके लिये 1 लाख तक की आबादी वाली नगर निकाय में लगभग 1 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी। इस प्रोसेसिंग प्लान्ट से निकलने वाले "इनर्ट वेस्ट" हेतु कलस्टर आधार पर संयुक्त एस0एल0एफ0 अलग से तैयार की जायेगी। एस0डब्ल्यू0एम0 योजना हेतु कितनी जनसंख्या पर कितनी भूमि की आवश्यकता होंगी, के सम्बन्ध में निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय, उ0प्र0 के पत्रांक पी0एम0यू0/154/एस0बी0एम0/2016 दिनांक 27.06.2016 की छाया प्रति संलग्न है। भूमि की उपयुक्ता के सम्बन्ध में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना रूल्स 2016 के संदर्भ में संलग्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज़

उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय :- टी.सी.-38-वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन: +91 522 2728985 फैक्स: +91 522 2728988

Visit us: www.cdsupjn.org e-mail: director@cdsupjn.org

पत्रांक: .... दिनांक: ....

अभी तक आपके नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत से भूमि सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नही हुई है जिसके कारण आगणन के गठन की कार्यवाही बाधित है। आपसे अनुरोध है कि कृपया शीर्ष प्राथमिकता पर अपने निकाय से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को ईमेल–gmcdslko@gmail.com पर प्रेषित करनें का कष्ट करें।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दे।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार(3नग)।

भवदीय

(आर0एन0गोयल)
महाप्रबन्धक(नि–8)

पृ0 सं0 एवं दिनांक– तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, स्थानीय निदेशालय, 8वां तल, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अमरोहा, हरदोई, उन्नाव, बिजनौर, मुरादाबाद।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(प्रथम / द्वितीय), सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ / नोएडा।
4. महाप्रबन्धक(नि–1 / 5 / 15), सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम गाजियाबाद / लखनऊ।
5. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–16 / 29 / 31 / 53 सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, बिजनौर / लखनऊ / गाजियाबाद / हरदोई।

महाप्रबन्धक(नि–8)

(4) संलग्नक–3

स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अति आवश्यक / ई–मेल / फैक्स द्वारा

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–पी.एम.यू. /154 / एस.डब्लू.एम. / एस.बी.एम. / 2016 दिनांक 29 जून, 2016

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निकायों के क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के गठन हेतु आवश्यक / उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित "स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन)" कार्यकम के अन्तर्गत समस्त नगर निकायों के क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण हेतु आवश्यक प्रबंधन दिनांक 01 अक्टूबर 2019 तक सुनिश्चित किया जाना है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु सालिडवेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं के गठन हेतु प्रथम आवश्यकता उचित एवं प्रर्याप्त भूमि की उपलब्धता है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के समूह (cluster) आधारित परियोजनाओं का गठन किया जाना है। इसके अन्तर्गत नगर निकायों के क्षेत्र के ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपचार के लिये सम्बन्धित नगर निकाय के क्षेत्र में पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित "सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016" के अनुसार उपयुक्त भूमि पर प्रोसेसिंग प्लान्ट अधिष्ठापित कर किया जाना है, तथा अवशेष वेस्ट का निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर कम से कम एक अथवा दो स्थलों पर कामन सेनेटरी लैण्डफिल हेतु भूमि का प्रबन्ध किया जाना है।

नगर निकायों के क्षेत्र के अन्तर्गत कूड़े के प्रोसेसिंग प्लान्ट अधिष्ठापन हेतु एक लाख आबादी तक कम–से–कम 1 हेक्टेयर भूमि अनिवार्य रूप से आवश्यक होगी, तथा इन नगरीय क्षेत्रों हेतु सेनेटरी लैण्डफिल कामन होगा।

प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं कामन सेनेटरी लैण्डफिल हेतु निम्नानुसार भूमि की आवश्यकता होगी। 30 वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक भूमि के उपलब्ध होने में कठिनाई है तथा कम भूमि शीघ्र उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में 10 वर्ष की अवधि के प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं सेनेटरी लैण्डफिल हेतु निम्न विवरण के अनुसार भूमि की आवश्यकता होगी।

कुल जनसंख्या	प्रोसेसिंग प्लान्ट हेतु भूमि की आवश्यकता	सेनेटरी लैण्डफिल हेतु भूमि की आवश्यकता	
		30 वर्ष की अवधि के लिए	10 वर्ष की अवधि के लिए
1.00 लाख तक	1.00 हेक्टेयर	7.00 हेक्टेयर	4.00 हेक्टेयर
1.00 लाख से	1.00 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या	5.00 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या	2.50 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या
5.00 लाख से अधिक	1.00 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या	3.00 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या	1.50 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या

आठवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ-226001
दूरभाषः 0522-2287234 | फैक्सः 0522-2288875 | वेबसाइटः www.localbodies.up.nic.in
ई-मेलः diruplb@nic.in, sbmdlbup@gmail.com

उक्त "सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016" में सेनेटरी लैण्डफिल हेतु भूमि के चयन के लिए मानक निर्धारित किये गये है, जिसमें उल्लिखित शिडयूल I के पैरा A(vii) के समक्ष अंकित दिशानिर्देश निम्नवत है:-

"The landfill site shall be 100 metre away from river, 200 metre from a pond, 200 metrefrom Highways,Habitations, Public Parks and water supply wells and 20 km. away from Airports or Airbase. Howeverin a special case, landfill site may be set up within a distance of 10 and 20 km away from the Airport/Airbase after obtaining no objection certificate from the civil aviation authority/Air force as the case may be. The Landfill site shall not be permitted within the flood plains as recorded for the last 100 years, zone of coastal regulation, wetland, Critical habitat areas, sensitive eco-fragile areas.

उपरोक्त रूल्स के अनुसार प्रोसेसिंग प्लान्ट पर भारी वाहनों के आवागमन हेतु समुचित मार्ग जो किसी गाँव की आबादी से न गुजरता हो भी वांछनीय हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 में विभिन्न स्तरों के दायित्वों का सुस्पष्ट निर्धारित भी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 5457/नौ-5-2015-227सा/2015 दिनांक 22.12.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट के प्राक्कलन विरचन व निर्माण के कार्य सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा सम्पादित कराया जायेंगा।

अनुरोध है कि अपने से संबंधित नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं के गठन हेतु प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्तानुसार भूमि का शीघ्र प्रबन्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत।

भवदीय

27/6/16

(राकेश कुमार मिश्र)
निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (एस.बी.एम.)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखितएंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-सचिव, नगर विकास विभाग(अनुभाग-5), उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ को सूचनार्थ।
2-महाप्रबन्धक (नि0-8/मुख्यालय),सी. एंड डी.एस., उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
3-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। (द्वारा-जिलाधिकारी)
5-व्यैक्तिक सहायक, मिशन निदेशक(एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय।
6-व्यैक्तिक सहायक, अपर निदेशक/सहायक निदेशक(लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय।
7-समस्त विशेषज्ञ, एस0बी0एम0, पी0एम0यू0।
8-जूनियर प्रोग्रामर, नगरीय निकाय निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार मिश्र)
निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (एस.बी.एम.)

- (D)

संलग्नक - घ

संख्या : 4520 /नौ–8–2017–153ज / 2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक :10 अक्टूबर, 2017

विषय : ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रदेश के नागर निकायों में भूमि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में कुल जनसंख्या की लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में दिन–प्रतिदिन हो रही वृद्धि के कारण शहरों में अवस्थापना सुविधाओं का अत्यधिक दबाव है, जिसमें से ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन नागर निकाय की मुख्य समस्या है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 द्वारा निर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के नियम–11 व 12 में नगर विकास विभाग व जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी के कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं, जिसमें यह उल्लिखित है कि इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर जिले में स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाओं की स्थापना करने के लिए नियम–11 के खण्ड (च) के अनुसार उपयुक्त भूमि की पहचान तथा आवंटन एवं इसे मास्टर प्लान/भूमि उपयोग योजना में शामिल करना होगा।

2– भूमि का चिन्हांकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 की अनुसूची–1 (नियम–15(ब), (यझ), 16(1) (ख)(ड़), 16(4) में दी गयी व्यवस्था एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल की शुद्धता एवं प्रदूषण के मानकों को ध्यान में रखकर की जायेगी जैसे–चयनित भूमि नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति स्रोतों से 200 मीटर तथा विमान पतनों या हवाई अड्डों से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होनी चाहिए।

3– वर्तमान में प्रदेश में कुल 653 नागर निकाय हैं, जिनमें 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 438 नगर पंचायत हैं। अधिकांश नागर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता न होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक विकट समस्या बनी हुई है।

4— राजस्व विभाग अनुभाग—13 के शासनादेश संख्या—2/2015/215/एक—13—2015—20(48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 के प्रस्तर—2 में राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं औद्योगिक प्राधिकरणों, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित परिषदों एवं प्रदेश में कार्यान्वित होने वाली पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं आदि के लिए भू—स्वामियों से सीधे भूमि क्रय किये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर—3 में लघु परियोजनाओं हेतु **"जिला (लघु परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति"** तथा प्रस्तर—4 में **"जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति"** का गठन किया गया है। तद्नुसार नगर विकास विभाग द्वारा प्रदेश की नागर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु **भूमि की निःशुल्क उपलब्धता न होने की स्थिति** में भू—स्वामियों/कृषकों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय करने हेतु निम्नवत दो समितियों का गठन किया जाता है:—

(क) लघु परियोजनाओं हेतु—"जिला (लघु परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति"

(लागत रू0 10 करोड़ तक)

1	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)	अध्यक्ष
2	संबंधित अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
3	संबंधित उप जिलाधिकारी	सदस्य
4	संबंधित सब रजिस्ट्रार/उप महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन/ सहायक महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन	सदस्य
5	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	सदस्य सचिव

(ख) मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं हेतु—"जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति"

(लागत रू0 10 करोड़ से अधिक)

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	संबंधित अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
3	संबंधित उप जिलाधिकारी	सदस्य
4	संबंधित सब रजिस्ट्रार/उप महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन/ सहायक महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन	सदस्य
5	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	सदस्य सचिव

5— लघु परियोजनाओं एवं मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं हेतु राजस्व विभाग अनुभाग—13 के शासनादेश संख्या—2/2015/215/एक—13—2015—20(48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 में उल्लिखित अन्य व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी।

6— समिति द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगमों में 02 स्थल शहर की अलग—अलग दिशा में व नगर पालिका एवं नगर पंचायत हेतु 01 स्थल का चिन्हांकन/चयन किया जायेगा। महानगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक ही स्थल होने की दशा में कतिपय क्षेत्रों के संग्रहित अपशिष्ट को शहर से गुजरते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल तक पहुँचाना पड़ता है, जिसमें न सिर्फ अधिक व्यय होता है, बल्कि असुविधा भी होती है।

7— क्रय की जाने वाली भूमि नगर निकाय के पक्ष में क्रय की जायेगी एवं इसका वित्त पोषण राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग/अवस्थापना विकास निधि/स्टाम्प शुल्क के अन्तर्गत 2 प्रतिशत धनराशि/नगर निकाय निधि में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

8— कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2— प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
4— निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग.
5— समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
6— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, उ0प्र0।
7— समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9— नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10— गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
10.10.17
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

7171/2020

संलग्नक-ड

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

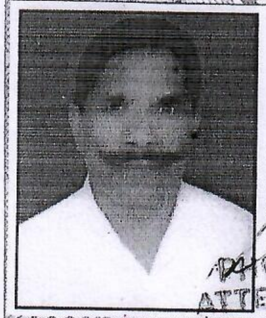

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (विक्रय–पत्र) 07AE 295579

बैनामा	:	83,04,840/- रुपये।
मालियत	:	83,05,000/- रुपये।
निर्धारित दर	:	23,00,000/- रु0 प्रति हे0+ सर्किल रेट का 2.55 गुना।
किस्म जमीन	:	कृषि।
विक्रीत क्षेत्रफल	:	1.416हे0।
कृषि भूमि का खसरा नं0	:	1मि0
देय स्टाम्प	:	4,15,250/-रुपये।
रेट सूची के पृष्ठ सं0	:	25
किता	:	31
आच्छादित क्षेत्रफल	:	शून्य।
विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति से	:	नहीं हैं।
मार्ग की स्थिती	:	लिंक मार्ग पर है।
वाकैः–ग्राम/वी0 कोड–2059, ग्राम चांगीपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।		

83050

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH कृषि सम्पत्ति का विवरण 41AA 441291

वाकैः—ग्राम चांगीपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।

खसरा नम्बरान	मि0 रकबा	हिस्सा	विक्रीत रकबा	प्रचलित दर
1मि0	1.416हे0	मेरी कुल की कुल आराजी	1.416हे0	23,00,000/- रु0 प्रति हे0+ सर्किल रेट का 2.55 गुना।
		योग	1.416हे0	

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH **Page - 3** FG 471977

पक्षकारों का विवरण

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
प्रथम पक्ष (विक्रेता) की संख्या–1	**द्वितीय पक्ष (क्रेता) की संख्या–1**
भूदेव सिंह चौहान पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी मौहल्ला राम नगर नूरपुर, परगना बूढपुर, तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर। मोबाईल नं0–9719463760 आधार नं0–3811 5786 6854 पैन नं0– ASJPS5973K	नगर पालिका परिषद, नूरपुर पैन नं0 LKNNO5722D द्वारा अध्यक्षा श्रीमति फारीना इरशाद पत्नी श्री इरशाद अली, निवासी मौहल्ला इस्लाम नगर, नूरपुर, मोबाईल नं0–9758181786 आधार नं0–302049321274 व अधिशासी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी पुत्र राधेश्याम त्रिपाठी निवासी–बडहनगंज ,भाटपार, गोरखपुर, उ0प्र0–273402 मोबाईल न0 – 9452315592 आधार नं0– 4044 1999 7027

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 264387

जो सब प्रकार से पाक व साफ प्रथम पक्ष (विक्रेता) की है।

04 JUL 2020

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 264388

जिस पर प्रथम पक्ष (विक्रेता) काबिज व मालिक है, जिसे बेचने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष (विक्रेता) का है।

04 JUL 2020

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 264389

इसी अधिकार के साथ प्रथम पक्ष (विक्रेता) नें स्वस्थ चित्त, स्थिर बुद्धि की दशा में भली भांति सोच व समझ कर मूल्य **मुबलिग 83,04,840/- रु0 जिसके आधे 41,52,420/-रु0** होते हैं में द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कूड़ा निस्तारण (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) हेतु विक्रय कर दी।

0 4 JUL

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 41AA 441292

अतः आज दिनांक **23-07-2020** को क्रेता व विक्रेता व गवाहान के कहने के अनुसार बैनामा ड्राफ्ट किया गया।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नूरपुर (बिजनौर)

गवाह–1
जगवीर सिंह पुत्र कड़ावीर सिंह
निवासी ग्राम–हसूपुरा हरकिशनपुर
परगना बूढ़पुर तहसील चान्दपुर
जिला बिजनौर।
मोबाईल नं0 **8445299865**
आधार सं0 **7931 3179 2401**

गवाह–2
गीता चौहान पुत्री विक्रम सिंह
निवासी मौहल्ला राम नगर नूरपुर
परगना बूढ़पुर तहसील चान्दपुर
जिला बिजनौर।
मोबाईल नं0 **9719463760**
आधार सं0 **4716 7988 5197**

SIRAJUDDIN
Advocate
C.O.P. No. 90862
Reg. No. 4514/07
Civil Court, Chandpur
Mob.:9837280048

सिराजुद्दीन, (एडवोकेट) तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।

925 दिनांक 6/7/2020 क्रमांक 927

नाम 50

शाश्वत कुमार
स्टाम्प विक्रेता
तह० चाँदपुर (बिजनौर)

आवेदन सं०: 202000716009293

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10154 के पृष्ठ 21 से 82 तक क्रमांक 7171 पर दिनाँक 23/07/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मौ० खालिद खान प्रभारी
उप निबंधक : चांदपुर
बिजनौर
23/07/2020